



136

Stamp B10/



Handwritten notes and signatures on the right side of the stamps.

A-1117-I/2001



श्रीमती सुशीला देवी बेवास्व 0 श्री लल्लू प्रसाद यादव निवासी क्वाड़ी टोला सतना डाल मुकाम गदिया टोला सतना म0 प्र0 - - - अपीलान्ट बनाम

1- राजेन्द्र कुमार तय श्याम सुन्दर यादव निवासी क्वाड़ी टोला कृष्ण नगर सतना तहसील रघुराजनगर, जिला सतना, म0 प्र0 2- श्याम सुन्दर तय राम प्रसाद यादव निवासी क्वाड़ी टोला कृष्णनगर तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0 प्र0 - - - रूपाडे-टगण

Handwritten notes and signatures on the left side of the document.

अपील अर्जित धारा 44(2) म0 प्र0 भू0 अधिनियम द्वारा प्राप्त दिनांक 23 अप्रैल 1998 के अधिनियम संविदा विरुद्ध आदेश अपर कश्मिर के अधिनियम संविदा संभाग रीवा म0 प्र0 प्रकरण क्रमोंक 384/अपील/98-99 आदेश दि. 16-3-2001

Office of The Collector Distt. SAGINA (M. P.) Collector

मान्यवर,

अपीलान्ट की अपील के आधार निम्नानुसार हैं:-

अपील के संक्षिप्त तथ्य

यह कि अपीलान्ट/ आवेदिका के द्वारा तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना म0 प्र0 के न्यायालय में इस आश्रम का आवेदन पत्र पेश किया गया कि ग्राम कोलगाँ की भूमि खसरा क्रमोंक 504 रकवा 0-22 एकड़ का 1/2 भाग के मालिक खातिदार रामप्रसाद थे उनके निधन के बाद उनके दो पुत्र लल्लू प्रसाद एवं श्याम सुन्दर मालिक स्वामी हुये । लल्लू प्रसाद की मृत्यु वर्ष 1988 में हो गई । लल्लू प्रसाद के निधन के बाद आवेदिका लल्लू प्रसाद के बजाये स्वामिनी है । आवेदिका आवेदित भूमि के 1/2 भाग का वारसना नामान्तरण करा पाने की हकदार है ।

2- यह कि तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना द्वारा उक्त

30/09/2001/4/AM/01/06/01/06.01

Handwritten signature or mark at the bottom left.

24.8.16

आवेदक अग्नि शासक

शर्मा अनुपस्थित प्रकरण 16 वर्ष पुराना
 है। राशिय आवेदक स्वयं नही ली जा
 रही है अनेको बार आवेदक लगवली
 जाई परन्तु कोई श्य. नही अतः अतः
 प्रकरण अदम पैरवी में समाप्त
 किया जाता है प्रकरण निम्न संख्या

W

—
—
—

